फर्द अहकाम

आज अदालत – जिला कलक्टर, – मुकाम – भरतपुर

ऋषभ शर्मा बनाम लो.सू.अ. प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग, कलै0, भरतपुर

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 32 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2025	प्रार्थी / अपीलान्ट ऋषभ शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द शर्मा अनाह गेट बजरिया, भरतपुर की यह अपील आर टी आई 2005 के तहत विरूद्ध प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै0 भरतपुर प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र आदि के अवलोकन से जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै0 भरतपुर से सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई 2005 के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्रस्तुत अपील एवं संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि चाही गई सूचना पशुपालन विभाग से सम्बन्धित होने के कारण आर.टी.आई. 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै0 भरतपुर द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भरतपुर को पत्रांक राजस्व / आर.टी.आई. / 12 / 12 / ( ) 2025 / 2362 दिनांक 28.04.2025 से प्रेषित किया गया है। चाही गई सूचना के संदर्भ में संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भरतपुर द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को अपने कार्यालय के पत्रांक 8094 दिनांक 06.05.25 से जबाव दिया जा चुका है। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा अपने जबाव में अंकित किया है कि– ''.......सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) व धारा 11 के तहत कानूनी कार्यवाही से संबंधित जानकारी / गोपनीय दस्तावेज होने के कारण उक्त सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर की भूमि से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में जयपुर में विचाराधीन है।'' लोक सूचना अधिकारी संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भरतपुर के जबाव से जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को चाही गई सूचना के संदर्भ में सूचित किया जा चुका है। फिर भी प्रार्थी / अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी के जबाव से संतुष्ट नहीं है तो सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र है। संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भरतपुर के विरूद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील अपीलार्थी को वापस लौटाई जाकर, लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	

596-597
7/7/25
निर्णय प्रति